परिपत्र 2021046 / 15-02-2021

पत्र संख्या–आई0टी0–08/003/रिफण्ड/2020–2021/ 1023 /वाणिज्य कर
कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 15 फरवरी, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय– GST व्यवस्था के अन्तर्गत SGST रिफण्ड आवेदनों के निस्तारण के अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

GST व्यवस्था के अन्तर्गत GST Common Portal पर SGST Refund के Manual तथा Online आवेदनों के समयबद्ध एवं त्वरित निस्तारणों के सम्बन्ध में समय–समय पर परिपत्र निर्गत किये गये है। SGST Refund के मामलों में विलम्ब के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं। अतः व्यापारियों की सुविधा के दृष्टिगत तथा Refund के दावों के समयबद्ध निस्तारण के अनुश्रवण हेतु विभाग द्वारा "Refund Grievance System" का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से व्यापारी अपने Refund से सम्बन्धित समस्याओं की Online शिकायत दर्ज कर सकते हैं तथा अपनी शिकायत की अद्यतन स्थिति की Online Tracking भी कर सकते हैं। "Refund Grievance System" से सम्बन्धित प्रक्रिया निम्नवत है:–

1. विभागीय Portal: Comtax.up.nic.in पर उपलब्ध "Refund Grievance System" के लिंक पर क्लिक करके व्यापारी अपना GSTIN, Refund से सम्बन्धित अवधि, Refund धनराशि, Refund का कारण तथा अपनी टिप्पणी अंकित करके शिकायत Online दर्ज करा सकते है।

Online शिकायत दर्ज करने से पूर्व व्यापारी को GSTIN database में उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर प्रेषित OTP अंकित करना अनिवार्य होगा।

Online शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज होने पर व्यापारियों को Unique reference number (शिकायत संख्या) database में registered Email तथा SMS पर प्रेषित की जायेंगी।

2. व्यापारी द्वारा अंकित की गयी शिकायत सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के Login पर उपलब्ध हो जायेंगी। सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी Dealer Management System में "GSTIN Return" Menu पर उपलब्ध Refund Grievance के लिंक पर सम्बन्धित शिकायतों की सूची प्राप्त कर सकते हैं।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कुछ शिकायतों पर कार्यवाही action button के माध्यम से Online अंकित की जायेगी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत के सम्बन्ध में approved अथवा disapproved का चयन dropdown के माध्यम से किया जायेगा। Approved की स्थिति में अधिकारी द्वारा निस्तारण आदेश संख्या, निस्तारण आदेश दिनांक तथा Refund की धनराशि Online अंकित की जायेगी जबकि disapproved की स्थिति में अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कारण को स्पष्ट रूप से Remark की field में अंकित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शिकायत आवेदन की तिथि से 10 कार्य दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में आनलाइन निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाये ।

3. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रकार शिकायतों की रिपोर्ट सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर, जोनल एडीशनल कमिश्नर तथा मुख्यालय स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के login पर उपलब्ध हो जायेगी।

अपने स्तर से इस प्रक्रिया का प्रचार–प्रसार करते हुये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।